"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2006—वैशाख 1, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—श्री पी. सी. दलेई, भा. प्र. से. (सीजी: 1984), छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, महामहिम राज्यपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री दलेई को उक्त कार्य के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता, खेल एवं युवक कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री पी. सी. दलेई, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर, श्री एस. के. पाठक, भा. प्र. से., सचिव, महामहिम राज्यपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक एफ 1-1/2005/1/5.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2006 को ''बैंकों की वार्षिक लेखाबन्दी के लिए'' घोषित सार्वजनिक अवकाश को केवल छत्तीसगढ़ के कोषालयों/उप कोषालयों के लिए निरस्त करते हुए कार्य दिवस घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2006

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन संपर्क विभाग को दिनांक 29-5-2006 से 16-6-2006 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 28-5-2006 तथा 17, 18 जून, 2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खेतान, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन सम्पर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री खेतान, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खेतान, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ. ए. 3-11/2004/1/एक.—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मई, 2004 द्वारा श्री अशोक चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार को स्वीकृत वेतन, प्रतिमाह रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार) से बढ़ाकर रुपये 30,000/- (रुपये तीस हजार मात्र) प्रतिमाह करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. यह व्यय मांग संख्या-01-मुख्यशीर्ष - 2052 सचिवालय सामान्य सेवायें-(090) सचिवालय (4327) सचिवालय-01-वेतन भत्ते आदि-001 अधिकारियों के वेतन-002 दूरभाष व्यय-05 पेट्रोल तेल आदि के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 314/सी. एम./5633/बजट-5/वित्त/चार/2006, दिनांक 26-3-2006 द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मार्च 2006

विषय :— राज्य के अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को मासिक सहायता प्रदान करने बाबत.

क्र. 354/30/1/सं./2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित साहित्यकारों/कलाकारों को उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई अवधि तथा दर से प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	नाम और पता (2)	प्रतिमाह (3)	अवधि (4)
1.	श्रीमती रमशीर बाई यादव, ग्राम रिंगनी, पो. नारधा, व्हाया जामुल, थाना भिलाई, जिला - दुर्ग (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से आजीवन पेंशन देय होगा.
2.	श्री मेहत्तर राम यादव, ग्राम व पो. आ. भरदाकला, थाना अर्जुन्दा, जिला - दुर्ग (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
3.	श्री केशलाल सोनी, ग्राम व पो. भरदाकला, थाना अर्जुन्दा, जिला-दुर्ग (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से आजीवन पेंशन देय होगा.
4.	श्री रोशन लाल देवांगन, ग्राम मोहदीपाट, पो. आ. खुरसुनी, थाना अर्जुन्दा, जिला-दुर्ग (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
5.	श्री तोरन लाल साहू, ग्राम तिलखैरी, पो. आ. डंगनिया, थाना अर्जुन्दा, जिला-दुर्ग (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से आजीवन पेंशन देय होगा.
6.	श्रीमती मुंगेशिया बाई, बेवा स्व. कुलबुल दास जांगड़े, ग्राम व पो. कोड़िया, वि. खं. धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से आजीवन पेंशन देय होगा.
7.	श्री रामलाल निर्मलकर, ग्राम व पो. अछोटा, तह. धमतरी (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
8.	श्रीमती संतोष झांझी, द्वारा दीपक जनरल स्टोर्स, शॉप नं. 63, सेक्टर 5, भिलाई नगर, दुर्ग (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
9.	श्री रमेश अधीर, गार्डन के पास, कोष्टापारा, धमतरी, जिला धमतरी (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	श्री चमरू राम यादव, ग्राम पंचायत भुरका, वि. खं. अभनपुर, जिला रायपुर (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
11.	श्री कुमार साहू, स्पन्दन, 2/717 गीतानगर, (चौबे कालोनी), रायपुर (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से आजीवन पेंशन देय होगा.
12.	श्रीमती फगनी बाई साहू, पति स्व. श्री रेवा राम साहू, महाभारत पार्टी, महामाया चौक, बसंतपुर, राजनांदगांव (छ. ग.).	700/-	1 अप्रैल, 2006 से देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

उक्त आर्थिक सहायता पर होने वाला व्यय मांग संख्या 26, मुख्य लेखा शीर्ष 2202, सामान्य शिक्षा 05, भाषा विकास 102, आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन 285 अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों को वित्तीय सहायता, 14 सहायक अनुदान 011 वैयक्तिक अनुदान आयोजनेत्तर मद वर्ष 2006-07 के बजट प्रावधान से विकलनीय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सूर्यवंशी, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना; विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ 6/154/2005/वा.क.(आब)/पांच .—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष 2003 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में जिला आबकारी अधिकारी के पद हेतु चयनित उम्मीदवारों की मुख्य सूची में शामिल सामान्य श्रेणी का एक प्रत्याशी उपलब्ध न होने से, रिक्त पद की पूर्ति हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सहमति से, जिला आबकारी अधिकारी के पद हेतु चयनित उम्मीदवारों की अनुपूरक सूची में से श्री विजय सेन शर्मा, आत्मज पी. सी. सेन शर्मा, निवासी-गली नम्बर-2, बसेरा कालोनी, भारतीय नगर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला आबकारी अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500 में नियुक्त किया जाकर उन्हें कार्यालय सहायक आयुक्त, आबकारी, रायगढ़ (छ. ग.) में पदस्थ करता है.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से, प्रशासन अकादमी रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के अगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होंगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर अथवा सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा 1 तथा 2 भरती नियम, 1966" के प्रावधानों के तहत शासित होगा.

6. उपरोक्त उम्मीदवार की नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जा रही है. अतः उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड से उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारां अयोग्य पाये जाने की दशा में उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त उम्मीदवार को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय सहायक आयुक्त, आबकारी, रायगढ़ (छ. ग.) के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र, मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. उम्मीदवार द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

9. जिला आबकारी अधिकारी के पद पर उम्मीदवार की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग की मुख्य सूची से नियुक्त अधिकारियों के पश्चात् निर्धारित होगी.

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2006

विभागीय परीक्षा माह जुलाई, 2006 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-9-43/दो-गृह/2006.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 24-7-2006 से रायपुर, बिलासपुर तथा बस्तर (जगदलपुर) के कलेक्टरों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार कलेक्टर्स अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्र के कलेक्टर्स को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 24-7-2006

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल अधिनियम तथा नियम पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 24-7-2006	
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	

मंगलवार, दिनांक 25-7-2006

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-''ए'' आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-''बी.''	
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए भाग-''सी.''	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित)	
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित)(नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनाएं ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
	मंगलवार, दिनांक 25-7-2006	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व, भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
	बुधवार, दिनांक 26-7-2006	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की ''व्यवहारिक परीक्षा''.	
63.	स्विच. गियर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिए (बिना पुस्तकों के)	

बुधवार, दिनांक 26-7-2006

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिए.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
27.	पुलिस अधिकारियों की ''पुलिस शाखा'' प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिए (बिना पुस्तकों के).	

गुरुवार, दिनांक 27-7-2006

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	
34.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
35.	प्रश्नपत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
36.	प्रश्नपत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिए.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए.	
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा न्यायिक एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए.	
	शुक्रवार, दिनांक 28-7-2006	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिए.	
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के).	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिए.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी के लिये, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिए.	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्नपत्र-लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिए (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिए किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिए.	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि, कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए.	

(1)	(2)	(3)
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
57.	प्रश्नपत्र तृतीय-अ.जा. तथा आदिवासी विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए. (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 29-7-2006	
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.

नोट :—

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख क्रर्मचारियों तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-3-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) दिनांक 8-5-2001 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अंतर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए.

4. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों अपने नाम उचित मार्ग द्वारा शीघ्र अपने विभागा-अध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का उल्लेख किया जावे.

5. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77-1/ह. स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे.

- इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के कलेक्टर (सूची में दर्शाये अनुसार) को दिनांक 19-5-2006 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्ष के माध्यम से संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. वे प्रमाण-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रखे जावेंगे.

6. परीक्षा केन्द्र कलेक्टरों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2006

क्रमांक 119/29/04/13/1.—राज्य शासन धारा 5 भारतीय विद्युत अधिनियम 1948 सहपठित धारा 58 (4) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 भाग सात में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्री शिवप्रसाद चतुर्वेदी, मुख्य अभियंता (उत्पादन) छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, सदस्य (उत्पादन) छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त करता है.

2. नियुक्ति की शर्तें पृथक से जारी की जावेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक/2523/834/25-2/आजावि/2006.—हज कमेटी अधिनियम 2002 की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा डॉ. सलीम राज को राज्य हज कमेटी का अध्यक्ष घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्रमांक/एफ 1-10/2006/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मनोहर रेड्डी को श्रम कल्याण मण्डल छ. ग. के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक 131/रीडर/06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	मलकछरा प.ह.नं. 3	13.942	कार्यपालन अभियंता, मनियारी संभाग मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	मोहपाड जलाशय योजना के शीर्ष कार्य के एफलक्स बंड एवं डुबान क्षेत्र के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 10 मार्च 2006

रा. प्र. क्र. 10/ अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	जजगा	0.706	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग. क्र.-1, अम्बिकापुर.	नरकालो जलाशय योजना के जजगा माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 1 अप्रैल 2006

रा. प्र. क्र. 1/ अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	वाड्रफनगर	धनवार	7.72	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-2, रामानुजगंज.	टोल टैक्स बेरियर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, वाड्रफनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक/741/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/01/अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	दरलीपारा	2.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक/740/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/04/अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	गोहरापदर	3.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक/742/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/05/अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	सुकलीभाठा	5.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	धूपकोट जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 मार्च 2006

क्रमांक /01/अ-82/भू-अर्जन/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	लालपुर	1.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसा. सं., बेमेतरा.	लालपुर जलाशय के निर्माण में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 मार्च 2006

क्रमांक /02/अ-82/भू-अर्जन/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	मुरता	0.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सं., बेमेतरा.	लालपुर जलाशय के निर्माण में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 मार्च 2006

क्रमांक /03/अ-82/भू-अर्जन/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	नांदघाट	0.18	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण वि., रायपुर.	नांदघाट पुल हेतु प्रभावित

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेमेतरा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक 589/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	देवरी प. ह. नं. 11	0.71	अनुविभागीय अधिकारी, तांदुला जल संसाधन उपसंभाग, क्र.-5, दुर्ग.	पचपेड़ी जलाशय निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2005

क्रमांक 10/ अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	पथर्रा	2.087	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवर सोन व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 5/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	आमाडांड़	0.234	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 6/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	घाघरा	0.198	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 7/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एकसन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सोनबचरवार	8.406	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 11/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सकोला	0.068	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 14/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	देवरीकला	0.056	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च 2006

क्रमांक 2/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोरजा	0.842	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	गांगपुर जलाशय स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 1 अप्रैल 2005

क्रमांक/1414/अ.वि.अ. भू-अर्जन/01-अ/82 सन् 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बिजेपुर प.ह.नं. 46	2.01	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लो.नि.वि., रायपुर (छ. ग.)	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 6 के कि.मी. 156/10 पर प्रस्तावित जोंक पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक 1458/भू-अर्जन/06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित मकान/कोठार/बाड़ी एवं अन्य संपत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/सम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन (मकान/कोठार/बाड़ी एवं अन्य सम्पत्ति)-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-पोसवार, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल- (अ) मकानों की संख्या - 68

(ब) मकान निर्मित क्षेत्रफल - 10,806.96 वर्ग मीटर

(स) कोठार/बाड़ी क्षेत्रफल - 23,668.12 वर्ग मीटर

(द) विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की संख्या - 248 नग

क्रमांक	नाम मकान मालिक	मकान का प्रकार	छत/छप्पर का प्रकार	मकान का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कुंआ का प्रकार	कुंआ का क्षेत्रफल गहरा/चौड़ा	कोठार बाड़ी का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	विभिन्न वृक्षों की संख्या कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	शंकरलाल-भगवानसाय	कच्चा	खपरैल	190.92	-	-	949.02	06
2.	सुरेश - कन्हैया	''	''	60.32	-	-	427.20	05
3.	कन्हैया- पुरन सिंह	''	''	286.42	पक्का	11.00/3.30	94.50	04
4.	रोहितकुमार- दुरदेशी	''	''	119.31	-	-	98.04	-
5.	पलटन- लखनू	''	''	202.90	-	-	484.00	11
6.	कार्तिक- सुखदेव	''	''	130.20	-	-	263.90	08
7.	रामचरण- भंवरसिंह	''	''	106.50	-	-	-	-
8.	संतराम- नवलसिंह	''	''	174.00	-	-	64.20	02
9.	तिजऊराम- बखरिया	''	''	106.60	-	-	-	-
10.	मन्नूलाल- अगडू	''	''	201.35	-	-	176.00	-
11.	सनऊराम- सहदेव	''	''	96.06	-	-	129.95	01.
12.	सुन्हेरसिंह- प्रतापी	''	''	81.38	-	-	-	-
13.	दया राम- . .	''	''	109.07	-	-	229.04	05
14.	पुनऊराम- संवलू	''	''	275.32	-	-	237.60	04
15.	आत्माराम- प्रतापी	''	''	169.68	-	-	734.40	05
16.	चुन्नूसिंह- महरसिंह	''	''	228.36	-	-	1442.75	09
17.	रामलाल- सुखदेव	''	''	85.58	-	-	408.69	07
18.	सोनूराम- बुतकर	''	''	106.40	-	-	873.60	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19.	नीराबाई- सोनऊ	कच्चा	खपरैल	121.86	-	-	1019.20	05
20.	मदनलाल- बिदेशी	"	"	74.72	-	-	25.46	-
21.	कचराबाई- केदारसिंह	"	"	255.27	-	-	519.25	01
22.	कृष्णा- भगवानी	"	"	106.11	-	-	126.40	03
23.	बुधलाल- हिरदेराम	"	"	85.83	-	-	610.56	04
24.	तीजलाल- रतनलाल	"	"	138.44	-	-	270.04	-
25.	पतिराम- बखरिया	"	"	172.34	-	-	206.08	02
26.	शोभितराम- चैनसिंह	"	"	239.56	-	-	234.00	02
27.	सुजानीराम- बीरसिंह	"	"	233.49	-	-	1380.60	06
28.	जगदीश- बीरसिंह	"	"	145.07	-	-	60.00	02
29.	बेदराम- लखन	"	"	138.60	-	-	106.26	07
30.	ठाकुर राम- अमरन	"	"	103.81	-	-	105.49	02
31.	रघुनाथ- रामबिलास	"	"	159.15	-	-	-	02
32.	घुन्नीराम- नरसिंह	"	"	162.68	-	-	168.00	03
33.	कचरीबाई- सुमान	"	"	204.17	-	-	-	04
34.	पांडुराम- पदशु	"	"	139.68	-	-	81.90	02
35.	रामकुमार- श्यामलाल	"	"	149.00	-	-	146.88	01
36.	सुमेन- हीरालाल	"	"	107.00	-	-	141.45	02
37.	नीलूराम- झरियार	"	"	343.42	-	-	234.96	04
38.	ललसराम- डरेल	"	"	43.56	-	-	26.66	-
39.	बनस- बेदराम	"	"	57.30	-	-	22.32	-
40.	राम्हू- पल्टू	"	"	45.65	-	-	-	-
41.	समोती-महरु	"	"	55.49	-	-	-	-
42.	रामबिलास- माहरु	"	"	90.06	-	-	208.80	-
43.	कलेसर- रामबिलास	"	"	115.53	-	-	631.20	10
44.	रामसहाय- अती	"	"	135.53	-	-	-	-
45.	कलाबाई- डरेलसिंह	"	"	142.60	-	-	523.20	04
46.	गुमानसिंह- गेंदासिंग	"	"	393.47	-	-	607.50	13
47.	मंसाराम- आनंदराम	"	"	249.98	-	-	510.49	04
48.	परदेशी- रामू	"	"	193.68	-	-	960.00	05
49.	श्रीमती शारदाबाई- रमानी	"	"	201.62	-	-	-	-
50.	लतेल- रामबिलास	"	"	170.01	-	-	247.16	04
51.	गोवर्धन- आनंदराम	"	"	126.66	पक्का	10.00/1.09	995.00	06
52.	धरमसिंह- बुधराम	"	"	96.56	-	-	324.00	02
53.	गोंविद- बारसू	"	"	151.90	-	-	349.68	[illegible]
54.	दसाराम- रामचु	"	"	240.22	-	-	188.50	[illegible]
55.	बरातू, विष्णु- रामप्रताप	"	"	395.00	-	-	286.00	05
56.	भूमिकुमार, ऋषिकुमार-परसराम	"	"	158.77	-	11.00/3.30	556.20	02
57.	इंदलराम- जुही	"	"	247.09	-	-	696.00	10
58.	गंगाराम- तपऊ	"	"	308.06	पक्का	10.00/3.60	1161.00	10
59.	श्रीमती दुरपतबाई- देवा	"	"	63.60	-	-	132.00	-
60.	पंचूराम- चंद्रकुंवर	"	"	249.21	-	-	743.70	09
61.	श्रीराम- रामसुख	"	"	274.68	-	-	501.07	08
62.	श्रीमती रमलाबाई-हरिराम	"	"	118.93	-	-	366.66	04
63.	शासकीय स्कूल	पक्का	ए. सी. शीट से	102.60	-	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
64.	पंचम- भगवानसाय	कच्चा	खपरैल	118.00	-	-	582.00	04
65.	रामचन्द्र- अमरु	"	"	73.05	-	-	555.60	03
66.	रामदास- नवलूराम	"	"	195.46	-	-	244.60	-
67.	श्रीमती सुरतिया- दुरदेशी	"	"	95.20	-	-	-	-
68.	भुनेश्वर- परतूराम	"	"	86.92	-	-	199.36	05
	योग	68 मकान	-	10.806.96	4 कुंआ	-	23,668.12	248 नग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोंगरा बॅराज परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा परि.) जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 13 दिसम्बर 2005

क्रमांक 102.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला- कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-कचोरा, प.ह.नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.431 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
482/8	0.081
482/9	0.101
482/10	0.081
467/2, 468/2	0.029
482/1	0.020
482/11	0.049
481/1 ख, 481/2 ख	0.097
481/2 क	0.117
484/1	0.178
481/1 क	0.093
485, 487/2	0.093
471/2, 488/2	0.336
471/1	0.101
471/4	0.028
471/5	0.028
योग 15	1.431

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- कचोरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 4 फरवरी 2006

क्रमांक 103.—ग्राम ढिटोरी प. ह. नं. 09 तहसील करतला के करांपाली माइनर नहर निर्माण हेतु 4.734 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किए जाने हेतु धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 क्र. 43 के पृष्ठ क्रमांक 1769 व 1770 में दिनांक 28 अक्टूबर 2005 को हुआ है. उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित	
ख. नं.	रकबा (हे. में)	ख. नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
20	0.045	20	0.045
18/1	0.061	18/1	0.061
19	0.016	19	0.016
22/2	0.028	22/2	0.028
23	0.057	23	0.057
24	0.057	24	0.057
29	0.020	25	0.020
27	0.032	27	0.032
43	0.036	43	0.036
138/1	0.016	138/1	0.016
136	0.162	136	0.162
132/1	0.113	132/1	0.113
209	0.324	209	0.324
207	0.267	207	0.267
205	0.016	205	0.016
219/1	0.271	219/1	0.271
220	0.057	220	0.057
221	0.097	221	0.097
244	0.194	244	0.194
246/1	0.286	246/1	0.286
249/1	0.117	249/1	0.117
249/2	0.117	249/2	0.117
259/2	0.020	259/2	0.020
228	0.340	228	0.340
227/1	0.008	227/1	0.008
227/2	0.008	227/2	0.008
226	0.117	226	0.117
225/2	0.174	225/2	0.174
229	0.032	229	0.032
230	0.053	230	0.053
231	0.081	231	0.081
293	0.222	293	0.222
291	0.061	291	0.061
290	0.024	290	0.214
284	0.375	284	0.375

(1)	(2)	(3)	(4)
283	0.101	283	0.101
282	0.045	282	0.045
239/2	0.081	239/2	0.081
239/3	0.061	239/3	0.061
238	0.121	238	0.121
242/1	0.081	242/1	0.081
242/2	0.061	242/2	0.061
242/3	0.049	242/3	0.049
260	0.040	260	0.040
योग 44	4.734	योग 44	4.734

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.)

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 10 अप्रैल 2006

क्र. 4627 क/खलि/2006.—छ. ग. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अनुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि जिला जांजगीर-चाम्पा (छ. ग.) के नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति के छ. ग. के राजपत्र में प्रकाशन होने से 30 दिवस के पश्चात् खनि रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

क्र. (1)	जिला (2)	तहि. (3)	ग्राम (4)	ख. नं. (5)	रकबा (6)	खनिज (7)	विवरण (8)
1.	जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	सलखन	338	4.000	चूना पत्थर	शा. भूमि

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक 13/अ-82/05-06.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी जिला बिलासपुर तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	दवनडीह/36	61/3	0.12
			76/1	0.13
			96	0.28
		योग	3	0.53

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक 14/अ-82/05-06.— राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम हरदीविशाल, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा से जल परिवहन हेतु ग्राम सीपत, तहसील मस्तुरी जिला बिलासपुर तक मेसर्स एन. टी. पी. सी. लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए.

और, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग से अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितवद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, (सिविल) बिलासपुर, जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिलासपुर	मस्तुरी	कुली/34	244/2	0.50
			532/2	0.20
			532/3	0.60
		योग	3	1.30

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.